:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– महावीर प्रसाद जैन RAS.

मूकदमा नम्बरः– 10/24

1. श्री कोशिक पुत्र शान्ता बेन पत्नी तेजा भाई जाति मीणा निवासी घण्टीघाला तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
2. संदीप पुत्र शान्ता बेन पत्नी तेजा भाई जाती मीणा निवासी घण्टीघाला तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

वादीगण

बनाम

1. श्री रायमल पिता सुफरा उम्र वयस्क
2. श्री सुजी पुत्री सुफरा
3. श्री नानी पुत्री सुफरा
4. श्रीमति लाली पत्नी हुरमा
5. श्री सरदार पिता सुफरा
6. श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी रमण
7. श्रीमति चम्पा देवी पत्नी गेंदाल ताबियाड सभी निवासीयान घण्टीघाला तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
8. श्री तहसीलदार तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः– अधिवक्ता श्री अल्पेश डामोर

–:निर्णयः– **दिनांक 11.03.2026**

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण मौजा गांव घण्टीघाला के रहने वाले है। वादीगण की माता ने अरजन पिता सुफरा मीणा निवासी घण्टीघाला के स्वामित्व एवं खाते की भूमि खाता संख्या 61 खसरा नम्बर 46 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा में से 3 बीघा 18 बिस्वा तथा खाता संख्या 62 में खसरा नम्बर 47 में 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि में 5 बीघा 6 बिस्वा भूमि है इस प्रकार कुल रकबा 55 बीघा 6 बिस्वा में से 9 बीघा 4 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदी है। वादीगण की माता ने अरजन से खरीदी भूमि में 1/6 हिस्सा अर्थात 9 बीघा 4 बिस्वा जमीन खरीद की है।

यह कि उक्त आराजीयात का वर्तमान खाता संख्या 68 होकर खसरा नम्बर 46 रकबा 3.8023 होकर एवं खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 47 रकबा 5.1452 खातो में 1/6 हिस्सा खरीद किया था।

यह कि वादीगण की माता शान्ता बेन का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात वादीगण शान्ता बेन के जायज वारिस होने से उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का उक्त दोनों खातो में 1/2 हिस्सा 1/2 हिस्सा दोनों खातों में दर्ज है।

यह कि वादीगण खाता संख्या 63 एवं खाता संख्या 68 की आराजीयात संख्या 47 एवं 46 की सह–खातेदारी में बहिस्सा 1/12, 1/12 है उसके अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि वादीगण की मौजा घण्टीघाला में खाता संख्या 69 में खसरा नम्बर 47 के कुल रकबा 5.1452 है0 वादीगण के हिस्से की 1/12, 1/12 जो रिकार्ड में दर्ज है। तदनुसार कानूनी बंटवारा किया जाकर रेवेन्यु रिकॉर्ड में वादीगण का खाता अलग–अलग किया जाये।

यह कि वादीगण के हिस्से की काश्त की आराजी पर काश्त करने में प्रतिवादीगण किसी किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करे और काश्त करने पर उसके साथ किसी प्रकार का झगडा फसाद नहीं करे, वादीगण के हिस्से पर अतिक्रमण करने की चेष्टा नहीं करे, न ही

ादीगण को बेदखल करने की चेष्टा करे और न ही ऐसा कृत्य करे जिससे कि वादीगण के वामित्वाधिकारों को किसी प्रकार की क्षति पहुँचे।

यह कि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से कब्जे काश्त की आराजी पर किसी कार से अतिक्रमण कर लेवे तो उन्हे बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द कराया ाना फरमावे तथा प्रतिवादीगण उक्त हिस्से में किसी को विक्रय नहीं करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये । तिवादीगण बाद तामिल उपस्थित। इनकी ओर से एडवोकेट श्री विरेन्द्र सिंह चौहान ने कालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादीगण को बार बार अवसर देने पर ी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 26.12.2024 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय ार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नियम की गई। 29.01.2025 को कील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र PW1, PW2, PW3, PW4 पेश किया जो शामिल पत्रावली किये गये। 02.07.2025 को साक्ष्य वादी बंद की गई। वकील वादी की एक तरफा बहस सूनी ई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बटवारा एवं तिवादीगण को जरीये स्थाई निषेधाज्ञा पांबद करने की बात कही।

पत्रावली में शामिल साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की गई कि ौजा घण्टीघाला में खाता संख्या 68 खसरा नम्बर 46 रकबा 3.8023 व खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 47 रकबा 5.1452 है0 होकर स्थित है। वादी व प्रतिवादी के संयुक्त कब्जे ाश्त की उक्त आराजी भूमि (जमाबंदी अनुसार) भूमि का Meats & Bounds के आधार र बटवारा करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार चिखली को आदेशित किया गया कि श्नगत आराजी सम्पूर्ण खातेदारो को पूर्व में लिखित सूचना देकर नियत तारीख को स्वयं की उपस्थिति में राज. काश्त. (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18–21 के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट मय नजरिया बंटवारा नक्शा जिसमें सभी खातेदारों को हक हिस्सा अलग–अलग दर्शित ो एवं सभी खातेदारों के हस्ताक्षर कर न्यायालय में पेश किया जावें। तहसीलदार चिखली से दिनांक 15.10.2025 को बटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। दिनांक 11.03.2026 को वकील वादी की क तहफा बहस सूनी गई। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नहीं हुई। वकील वादी ने पनी बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी एवं प्रतिवादी में उनके हिस्से नुसार बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर तहसीलदार चिखली से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट ीकार करना उचित समझता हूँ। बटवारा प्रस्ताव एवं नक्शा इस आदेश का अंश रहेगा। अतः

–:आदेश:–

तहसीलदार चिखली को आदेशित किया जाता है कि प्राप्त बटवारा प्रस्ताव एवं नक्शे आदेश के साथ संलग्न) के आधार पर मौजा घण्टीघाला में खाता संख्या 68 खसरा नम्बर 46 कबा 3.8023 व खाता संख्या 69 खसरा नम्बर 47 रकबा 5.1452 है0 में वादी एवं तिवादीगण हिस्से अनुसार बंटवारा कल अलग–अलग खाते कायम किये जावें एवं तिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के बटवारे में प्राप्त ई भूमि में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव ड़े, वादी के शान्ति पूर्ण कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे।

(महावीर प्रसाद जैन)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चिखली